मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 4983-5 जी0 एस0 I-77/21309 दिनांक 2 अगस्त, 1977 की प्रति ।

विषय :—स्थानान्तरण नीति में परिवर्तन ।

मुझे निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 4882-5 जी0 एम0 I-77/20612, दिनांक 27 जुलाई, 1977 में जारी की गई हिदायतों की ओर दिलाऊं जिन द्वारा नियुक्त प्राधिकारियों को अपने अधीन कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण 15 अगस्त, 1977 तक करने की अनुमति दी गई थी । हरियाणा राज्य में बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मामले पर विचार करके यह निर्णय किया है कि गुड़गांव, रोहतक, महेन्द्रगढ़, सोनीपत तथा कुरुक्षेत्र जिलों में निम्नलिखित विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में या बाढ़ सम्बन्धि कार्यों के लिए नियुक्त हैं के स्थानान्तरण 15 अगस्त, 1977 तक स्थगित कर दिए जाएं ।

1. राजस्व विभाग ।
2. सिंचाई विभाग ।
3. स्वास्थ्य विभाग
4. पशु चिकित्सा विभाग ।
5. खाद्य एवं पूर्ति विभाग ।
6. शिक्षा विभाग ।
7. लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्गशाखा)

कृपया यह सुनिश्चित करें कि सरकार की उपरोक्त हिदायतों की दृढ़ता से पालन की जाए।

भवदीय,
हस्त/-
उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।